भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4763
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति योजनाएं

4763. **श्री सौमेंदु अधिकारीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के वर्तमान विद्यालयों में विद्यालय समय के पश्चात् एक घंटे के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय के शिक्षकों की सहायता से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी तथा बाल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत वयस्क साक्षरता, सूचना एवं पोषण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का समाज के वंचित वर्गों से संबंधित महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक सशक्तिकरण के लिए विद्यालयों को एक माध्यम के रूप में उपयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन मुख्य वर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है अर्थात: (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति, (2) देश में पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 और (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य।

(1) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। इसमें मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' नामक दो उप-योजनाएं शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं। यह मांग आधारित केंद्र प्रायोजित उप-योजना है, जिसके तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है।

इसके अलावा, संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करता है।

महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) को संकल्प के नाम से जाना जाता है: एचईडब्ल्यू (सपोर्टिव एक्शन फॉर न्यूट्रिंग एंड नॉलेज-बेस्ड एडवांसमेंट, लास्ट माइल डिलीवरी एंड

पोटेंशियल रियलाइजेशन ऑफ वूमन : हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमन) केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित किए गए हैं। इसका लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें महिलाएँ अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकें ताकि राज्य द्वारा महिलाओं के लिए की गई कार्रवाई में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके तथा विभिन्न मंत्रालयों और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना है। यह कार्य सरकारी योजनाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को मज़बूत करके किया जाता है।

(2) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है जिनमें पूरक पोषण (एसएनपी), विद्यालय-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। इन छह सेवाओं में से तीन अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई), आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरे देश में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली छह सेवाओं में से एक है। ईसीसीई घटक में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे शामिल हैं, जबकि 0 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों तक सुव्यवस्थित गृह दौरे के माध्यम से पहुँचा जाता है।

3. मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य [पूर्व में बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)] केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और संरक्षण सेवाएं प्रदान की जा सकें, इसमें मिशन मोड में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल है जिसका उद्देश्य: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता और पालन-पोषण करना, (ii) विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना, (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना और (iv) यदि आवश्यक हो तो पूरक निधि (गैप फंडिंग) देकर समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना- समग्र शिक्षा - कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना पूर्व-प्राथमिक से कक्षा बारहवीं तक स्कूली शिक्षा को बिना किसी विभाजन के समग्र रूप से देखती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और उन्हें समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण मिले, जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, भिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे तथा उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए। यह योजना आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भी सहयोग करती है।

समग्र शिक्षा के तहत, स्कूली शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के नए स्कूल खोलना/उन्हें सुदृढ़ करना; स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण; जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन; नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना; प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण; पूरी तरह लाभान्वित नहीं हुई अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत छात्रावासों का निर्माण, पात्र बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मुफ्त यूनिफार्म और मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल हैं। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण, बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी

छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा इत्यादि के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रवेश दिलाने में सहायता की जाती है, जिनमें एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से उनकी शिक्षा पूरी करने में सहायता भी शामिल है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यार्थी-केंद्रित घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृत्ति इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में स्थित हैं। इस योजना का उद्देश्य एसईडीजी की बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बोर्डिंग सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके प्राथमिक से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक लैंगिक अंतर को कम करना है।
